,यालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी

प्रकरण स. 116/2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर

बनाम

1. शम्भू गहलोत पुत्र मूलचन्द गहलोत, मैसर्स गहलोत मिष्ठान भण्डार, सब्जी मण्डी, सरवाड़
2. मैसर्स गहलोत मिष्ठान भण्डार, सब्जी मण्डी, सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) एवं धारा 51

उपस्थिति :

(1) पेरोकार सरकार उपस्थित।

::–निर्णय–:: दिनांकः 09.12.2025

परिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.04.2025 को सायं 04:00 पीएम पर प्रार्थी वास्ते निरीक्षण मैसर्स गहलोत मिष्ठान भण्डार, सब्जी मण्डी, सरवाड़ पहुंचा। उस समय मौके पर विक्रेता शम्भू गहलोत उपस्थित था। जिसने मांगने पर फर्म के खाद्य रजिस्ट्रेशन, स्वयं का आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की। दुकान का निरीक्षण करने पर वहां पर एक ट्रे में 10 किलोग्राम मावा आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। जिसमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर उसमें से वास्ते नमूना जांच 01 किलोग्राम मावा खरीदकर उसकी कीमत 300/– रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाह राजेन्द्र शर्मा तथा प्रार्थी के हस्ताक्षर है। प्रार्थी ने फार्म 5ए की प्रतियां एवं फर्द तैयार कर विक्रेता एवं गवाह को को पढ़ एवं सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करवाये। फार्म की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाह को चार साफ, सुखी, खाली प्लास्टिक बोतले दिखाकर प्रत्येक बोतल में खरीदशुदा मावा को बराबर बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 20–20 बूंदे फॉरमलिन की डालकर एयर टाइट ढ़क्कन लगाकर बंद किया एवं चार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के कोड एवं क्रमांक ए–4836 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए–4836 नियमानुसार चारों नमूना पेकेट पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व रेपर पर होते हुये करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर किये और चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

प्रार्थी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर मे सीलबंद कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

यालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/3113 दिनांक 02.05.2025 के साथ खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/387/एक्ट/2025/407 दिनांक 24.04.2025 अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा अवमानक (Substandard) पाया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर ने पत्र क्रमांक 194 दिनांक 25.06.2025 द्वारा प्रार्थी को यह पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। प्रकरण में विक्रेता ने अवमानक (Substandard) मावा का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी मय अधिवक्ता हाजिर हुये। लेकिन अवसर दिये जाने पर भी बहस हेतु उपस्थित नहीं होने से प्रकरण में एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मावा** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा दण्डनीय धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ति लगाया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अजमेर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं नियम 2011 की धारा 51 का स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी शम्भू गहलोत पुत्र मूलचन्द गहलोत, मैसर्स गहलोत मिष्ठान भण्डार, सब्जी मण्डी, सरवाड़ के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 09.12.2025 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

9/12/25

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट केकड़ी